



Akme Fintrade (India) Ltd.

Branch:- Head Office : Akme Business Center (ABC) , 4-5, Subcity, Centre, Savina Circle, Opp. Krishi Upaz
Mandi, Udaipur - 313001 (Raj.), Ph.:- 0294-2489501-02, Email:- bc@akmefintrade.com

एडी / स्पीड पोस्ट

शाखा / वसूली / 2022-23 /

दिनांक:- 05.12.2024

ऋणी / सहऋणी / जमानतदार -

- (1) श्रीमती सीमा जैन पत्नी श्री भुवनेश कुमार जैन
- (2) श्री मोहित जैन पुत्र श्री भुवनेश कुमार जैन
पता - 194/बी, रोड नं. 6, राती तलाई, बांसवाड़ा
- (3) श्रीमती प्रवीणा जैन पत्नी श्री राजेश कुमार जैन
पता - 9/189, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा,

विषय :- बिक्री पूर्व : 30 दिवसीय सूचना नियम 8(6) के अंतर्गत।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि हमारी उदयपुर शाखा से आपने ऋण/सुविधा प्राप्त की थी जिसकी समय पर अदायगी नहीं किए जाने के कारण से आपका खाता एन.पी.ए किया जाकर कम्पनी द्वारा मांग नोटिस दिनांक 13.08.2024 को आपके ऋण खाता -1405138 में रुपये 58,64,612/- (अक्षरे रुपये अठावन लाख चौसठ हजार छह सौ बारह मात्र) दिनांक 08.08.2024 तक + ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त की अदायगी इस नोटिस की दिनांक से 60 दिवस में करने के लिए कहा गया था लेकिन आप उक्त नोटिस में दी गयी अवधि में बकाया सम्पूर्ण रकम मय ब्याज अदा करने में असफल रहे हैं। अतः कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत धारा 13(4) नियम 8(1) के अंतर्गत आपके द्वारा निम्न प्रतिभूत/बंधक अचल सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 11.11.2024 को धारण किया गया था।

बंधक अचल संपत्ति का विवरण - रहवासी भूमि इडन पार्क कॉलोनी, आराजी नं. 429/मिन -2, 434, 435, 436/मिन-3, पटवारी हल्का नं. 6, ग्राम पाल, ग्राम पंचायत नरवाल, तहसील आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट (कुल 5 प्लॉट्स) है। प्लॉट्स नं. 244, 245, 246, 247, 248 (प्रत्येक का क्षेत्रफल 800 वर्गफीट) है जो कि श्री मोहित जैन पुत्र श्री भुवनेश जैन के नाम से है।

सम्पत्ति का मूल्यांकन, नियम 8(5) के अंतर्गत हमारे अधिकृत मूल्यांकनकर्ता के द्वारा किया जाकर कम्पनी ने आरक्षित मूल्य रु. 800 प्रति वर्गफीट की दर से रुपये 32,00,000/- (सभी 5 प्लॉटों का मूल्य) सम्पत्ति की बिक्री हेतु तय किया है। विक्रय सूचना आरक्षित मूल्य के साथ दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई है। उक्त सम्पत्ति को इस नोटिस की दिनांक से 30 दिन के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2025 को बेचा जाएगा। बिक्री से प्राप्त राशि आपके खाते में समायोजित की जाएगी। समायोजन के पश्चात् यदि आपके ऋण खाते में कोई राशि बकाया रहती है तो उसे वसूल करने के लिए विधिपूर्वक कार्यवाही की जावेगी। आपके पास उक्त सम्पत्ति का उचित मूल्य देने वाला क्रेता हो तो उसे सम्पत्ति बिकने के पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लावें/भेजें।

आपका ध्यान उक्त अधिनियम 2002, की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यदि कम्पनी द्वारा किए गए सभी लागतों व्यवहारों और खर्चों के साथ उसके बकायों को विक्रय सूचना के प्रकाशन की तिथि के पहले कम्पनी को चुकाया जाता है तो आप प्रतिभूति आस्ति को ऋण मुक्त करा सकते हैं। सूचित हो विक्रय सूचना के प्रकाशन के पश्चात प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त कराने का अधिकार नहीं रहेगा।



प्राधिकृत अधिकारी
एकमे फिनट्रेड (इंडिया) लिमिटेड